

आदेश

प्राथी / आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 111 व संपठित धारा 128 राजस्थान लैण्ड रेवन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार चिड़ावा को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम केहरपुरा कलां के स्थित भूमि खसरा 397 रकबा 2.14 है. की प्राथी व पड़ौसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यमक संतुष्टि सीमाज्ञान मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 14.06.2025 के अनुसार नियमानुसार शुल्क लिया जाकर पत्थगाढी की जावें। दौराने पत्थरगाढी किसी प्रकार का कब्जा दिलवाने अथवा बेदखली की कार्यवाही नहीं की जावें।

(डा० नरेष्ठा सोनी)
उपखण्ड अधिकारी, चिड़ावा

निर्णय आज दिनांक 13/12/25 मेरे द्वारा पृथक से टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डा० नरेष्ठा सोनी)
उपखण्ड अधिकारी, चिड़ावा